2018/00120

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट**

श्रीमती कुसुम पत्नि श्री शंकर लाल लौहार
जाति लौहार निवासी वहिरावास, सिरोही
तहसील सिरोही
जिला सिरोही

सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 77 वर्ष 2018

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
21.12.2018	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 1.8.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक सत्यापन हो जाने के बाद भी मुझे सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान क्यों नही हो पा रहा है कि संबंधी सूचना की प्रमाणित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी, सिरोही से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 1.8.2018 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक सत्यापन हो जाने के बाद भी मुझे सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान क्यों नही हो पा रहा है कि से संबंधित को चाही गई समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। पेंशन भुगतान के संबंध में स्थानीय कोष कार्यालय सिरोही के पोर्टल पेंशनर्स पेमेंट रजिस्टर ओएपी -7 कर प्रति प्राप्त की गई तो अपीलांट को लगातार पेंशन हर माह की उसके बैंक खाता सं. 6850010644921 आईसीआईसीआई बैंक सिरोही में जमा हो चुके है। अतः अपीलाट की अपील अस्वीकार की जाती है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (अनुपमा जोरवाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned by CamScanner